

फर्द अहकाम

(नियम 13)


03  
GCMs  
2021/3  
28/9/2022

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी  
हलका सिणधरी

बनाम श्री शंकरराव  
पुत्र श्री शंकरराव जाति भील  
निवासी सिणधरी चारवा

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 03 / वर्ष 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
31-3-2021	पटवारी हलका <u>सिणधरी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा <u>सिणधरी</u> के खसरा नंबर <u>23/90</u> रकबा <u>0-81-71</u> किस्म भूमि <u>अ.मु. 2</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर कारत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>16-4-2021</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
16-4-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल <u>अनुपास्थी</u> गैर सायल ने जवाब हेतु सायल <u>याद</u> को डिफा जाकर पत्रावली दिनांक 29-4-2021 को पेश है।  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	 अ. नि. शंकरराव 16/4/2021
29-4-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल <u>अनुपास्थी</u> गैर सायल को जवाब हेतु भवकर डिफा जाकर पत्रावली दिनांक 13-5-2021 को पेश है।  तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	

13-5-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर आपत्त अनुपाष्टि।  
गैर आपत्त को जवाब हेतु भवकर डिग्रा जाकर  
पत्रावली दिनांक 28-5-2021 को पेश है।

०५  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

28-5-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर आपत्त अनुपाष्टि।  
गैर आपत्त को जवाब हेतु भवकर डिग्रा  
जाने के बावजूद भी कोई जवाब प्रस्तुत  
नहीं किया, गैर आपत्त को प्रतिक्रिया  
मानते हुए पत्रावली फेल ल सुधार हेतु  
निर्णय भलग से लिखा जाकर शामिल  
पत्रावली है। निर्णय शुल्क आयालय  
के सुनाया गया। पत्रावली फेल ल  
सुधार हेतु नम्बर १० के हेतु  
दाखिल डफ्तर है।

२४  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

सर्च 2021-22 के गजस्य लेखा परिच्छेद प. 4 के  
अनुसूची 15 पर क्र.सं. 01 पर नूतना/फसल  
आवामी तालि. सं. 501 की पांग दर्ज की गई।

N. P. 4  
तहसील गजस्य लेखाकार  
तहसील सिणधरी

# न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर-03 / 2021

संवत्:- 2078

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

भवराशम कल खेताराम

पटवारी हल्का सिणधरी

श्रील सिणधरी न्यायवाण

निर्णय

दिनांक:- 28-5-2021

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2077 में राजस्व ग्राम सिणधरी न्याय के खसरा नम्बर 23/9.0 में कुल रकबा 1.5-0.6 बीघा किस्म भूमि 0.5-0.5 में से रकबा 5-0.4 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल वावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से वेदखली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध वार्षिक भू-राजस्व लगान 0-66 रूपये का राउण्ड अप (एक रूपये) का 50 गुणा अर्थात् 50 रूपये (अक्षरे 50 रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से वेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला बाड़मेर